

( राजस्थान-सरकार )

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)**

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 72/2016

**बउनवान**

अवधेश कुमार पुत्र गोपाललाल जाति महाजन निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां  
(निगराकार)

**बनाम**

- 1- ग्राम पंचायत अटरू, जयें सचिव ग्राम पंचायत अटरू जिला बारां
- 2- सरपंच ग्राम पंचायत अटरू जिला बारां
- 3- पंचायत समिति अटरू जयें विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू जिला बारां  
(गैरनिगराकार)

**दरखास्त इजराय डिक्री निगरानी संख्या 2/2007 बउनवान मोहनलाल वगै. बनाम  
ग्राम पंचायत अटरू निर्णय दिनांक 4.3.2010**

उपस्थित :- 1- श्री मदन गोपाल केवडा अभिभाषक (निगराकार)  
2- अनुपस्थित (गैरनिगराकार क्रम 1 ता 3)

**निर्णय दिनांक 25.09.2019**

निगराकार द्वारा जयें विद्वान अभिभाषक न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां द्वारा प्रकरण संख्या 2/2007 किस्म निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बउनवान मोहनलाल बनाम ग्राम पंचायत अटरू मे पारित निर्णय दिनांक 04.03.2010 की पालना करवाये जाने हेतु दरखास्त इजराय डिक्री प्रस्तुत की गई।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त इजराय डिक्री को दिनांक 24.8.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, गैरनिगराकार क्रम 1 ता 3 को जयें सम्मन तलब किया गया। गैरनिगराकार क्रम 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी एक प्रति निगराकार के अभिभाषक को तकसीम की जाकर, जवाब शामिल पत्रावली किया गया। निगराकार के अभिभाषक द्वारा जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया जाकर निगराकार के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

निगराकार के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2010 की पालना ग्राम पंचायत अटरू द्वारा नहीं किये जाने से, उक्त आदेश की पालना करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने निगराकार के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस को सुना। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां द्वारा प्रकरण संख्या 2/2007 किस्म निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बउनवान मोहनलाल बनाम ग्राम पंचायत अटरू मे पारित निर्णय दिनांक 04.03.2010 का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि :-

- 1- प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इजराय डिग्री हेतु न्यायालय पेश हुआ।
- 2- पत्रावली का अवलोकन किया गया, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की गई है। केवल आदेश जारी किया गया है।
- 3- अतः निगराकार के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रार्थना पत्र अपोषणीय/ काबिल खारिज है।

निर्देश प्रार्थी ग्राम पंचायत के समक्ष न्यायालय आदेश/निर्णय दिनांक 4.3.2010 की पालना में ग्राम पंचायत में आवेदन/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, एवं यदि ग्राम पंचायत न्यायालय आदेश दिनांक 4.3.2010 की प्रचलित पंचायत राज नियमों 1996 (यथा संशोधित) के अनुसार 60 दिवस (आवेदन प्राप्ति से) में निस्तारण नहीं करें, अथवा विधि सम्मत ग्राम पंचायत निर्णय पारित नहीं करें, तो आवेदन अन्तर्गत धारा 12, न्यायालय आदेश की अवमानना अधिनियम **Contempt of Court Act-1971** अन्तर्गत के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। अथवा ग्राम पंचायत निर्णय के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

( सुदर्शन सिंह तोमर )  
अति० जिला कलक्टर, बारां

